न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सापन कुमार पायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 52 / 2017

दर्ज दिनांक: 31 / 05 / 2017

निर्णय दिनांक : 07 / 11 / 2017

गोपाल पुत्र रिछकरण जाति जाट, निवासी: गोकुलपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

---वादी

बनाम

तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

--- प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित:

श्री सीताराम सैनी एडवोकेट

श्री पप्पूलाल सैनी एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज0 उप0।

निर्णय दिनांक: 07 / 11 / 2017

-: निर्णय :-

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सख्या 13 के आराजी खसरा नंबर 99/1 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खतौनी संख्या 119 के खसरा नंबर 99/2 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 174/415 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खतौनी संख्या 120 के खसरा नंबर 202 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खतौनी संख्या 121 के खसरा नंबर 32, 33, 66, 83, 104/1, 114, 135, 143, 195, 201, 225, 226, 259, 269, 270, 354, 360 कुल किता 18 कुल रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खतौनी संख्या 122 के खसरा नंबर 260, 368 कुल किता 2 गैरमुमकिन चाह कुल रकबा 4 बिस्वा वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

गोकुलपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमे वादी राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है उक्त आराजी वरवक्त रिद्वकरण के देहान्त के पश्चात वादी एवं वादी के भाईया के विरासत का नामान्तकरण खुला उस समय वादी नाबालिग था एवं वादी को गांव में बचपन में श्योजी नाम से पुकारने से उक्त विरासत व अन्य आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गोपाल की जगह श्योजी दर्ज हो गया उक्त राजस्व रिकार्ड मे श्योजी पुत्र रिद्वा के स्थान पर गोपाल पुत्र रिद्वकरण किया जाना न्यायोचित है। श्योजी पुत्र रिद्वा एवं गोपाल पुत्र रिद्वकरण जाति जाट ग्राम गोकुलपुरा, तहसील फागी में एक ही व्यक्ति है इस नाम के अलावा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि वादी का राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड एवं ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र व अन्य आराजी की जमाबंदी से पूर्णतया सिद्व होता है कि वादी का नाम गोपाल पुत्र रिद्वकरण सही है इसलिये वादी का नाम श्योजी की जगह गोपाल पुत्र रिद्वकरण सही है इसलिये वादी का नाम श्योजी की जगह गोपाल राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये वादी उक्त आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरूस्ती इन्द्राज करवाने के अधिकारी है। वादी ने उक्त आराजीयात को काफी पैसा खर्च कर समतल व उपजाऊ बना लिया है उक्त आराजीयात को वादी रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है एवं शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन राजकीय कर्मचारियों के सहवन से एवं वादी के अनपढ व काश्तकार होने से उक्त सही नाम की जानकारी नही हुयी एवं वादी को श्योजी एवं गोपाल के नाम से पुकारते थे इसलिये दोनो ही नामो से उक्त आराजी में नाम भी अलग–अलग हो गये जबकि वादी का नाम गोपाल पुत्र रिद्वकरण सही है उक्त रिकॉर्ड में गोपाल पुत्र रिद्वकरण की जगह श्योजी पुत्र रिद्वा हो गया जो गलत है जबकि वादी का नाम गोपाल पुत्र रिद्वकरण सही है जिसका राजस्व रिकार्ड मे वादी अपना नाम श्योजी के स्थान पर गोपाल करवाने का कानूनन अधिकारी है। अभी हाल ही मे दिनांक 26.05.2017 को वादी ने अपनी खातेदारी भूमि का किसान कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का से नकले प्राप्त करने पर अपने नाम की जानकारी हुई पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि आपका नाम रिकॉर्ड में श्योजी है जबकि सही नाम गोपाल है जिसको सक्षम न्यायालय में आदेश

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

करवाने बाबत कहा गया इसलिये मान्य न्यायालय में वादी द्वारा उक्त वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी ने दावा के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित कर अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि वाद में वर्णित अनुसार आराजी में वादी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रिकॉर्ड में श्योजी पुत्र रिद्वा के स्थान पर गोपाल पुत्र रिद्वकरण दुरूस्त किया जाकर पालना बाबत तहसीलदार फागी को आदेश फरमाया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी की आराजीयात में किसी प्रकार से उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी नहीं करे, न ही अन्य किसी हाली सीरी, एजेन्ट सर्वेन्ट से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज0 ने जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने वादी एवं छोटू पुत्र रिद्वकरण के शपथ पत्र पेश किये, शामिल पत्रावली किये गये।

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किया है कि मुताबिक जमाबंदी उक्त खसरा नंबरान में कल्याण छोटू पि. रिद्वा व श्योजी पुत्र रिद्वा के नाम दर्ज है। रिद्वा की विरासत दर्ज करते समय जरिये नामान्तकरण वादी का नाम श्योजी अंकित किया गया है किन्तु तत्समय वादी के श्योजी ही बोलना बताया है अतः वरवक्त नामान्तकरण मौके पर वादी का नाम श्योजी बताने से दर्ज किया गया है। रिद्वा पुत्र घासी जाट निवासी गोपालपुरा की विरासत द्वारा गल्कू बेना रिद्वा व श्योजी कल्याण छोटू पि. रिद्वा के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ है। वादी अपना नाम श्योजी पुत्र रिद्वा के स्थान पर गोपाल पुत्र रिद्वकरण कराना चाहता है।

बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, फोटोप्रति फोटोप्रति आधारकार्ड, फोटोप्रति राशनकार्ड, ग्राम पंचायत परवण द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांकित 30.05.2017, तहसीलदार फागी की रिपोर्ट, वादी गोपाल पुत्र रिद्वकरण एवं छोटू पुत्र रिद्वकरण के शपथ पत्र इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम श्योजी पुत्र रिद्धा दर्ज रिकॉर्ड है।

वादी ने वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में श्योजी पुत्र रिद्धा के स्थान पर गोपाल पुत्र रिद्धकरण दर्ज करवाना चाहा है।

वादी के अनुतोष पर मनन किया गया। बाद मनन यह पाया गया कि पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति आधारकार्ड एवं फोटो प्रति ग्राम पंचायत परवण द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 30.05.2017 में वादी का नाम गोपाल अंकित है। छोटू पुत्र रिद्धकरण ने अपने शपथ पत्र में वादी का सही व वास्तविक नाम गोपाल पुत्र रिद्धकरण होने एवं श्योजी पुत्र रिद्धा व गोपाल पुत्र रिद्धकरण एक ही व्यक्ति होने का कथन किया है।

प्रकरण के संपूर्ण तथ्यो पर गौर व मनन करने एवं पत्रावली के समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर मेरे द्वारा वादी वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज श्योजी पुत्र रिद्धा को इजाफ कर इसके स्थान पर गोपाल पुत्र रिद्धकरण दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 90/1, 90/2, 174/415, 202, 32, 33, 66, 83, 104/1, 114, 135, 143, 195, 201, 225, 220, 250, 200, 270, 354, 300, 200 एवं 300 ग्राम गोपालपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज श्योजी पुत्र रिद्धा को इजाफ कर इसके स्थान पर गोपाल पुत्र रिद्धकरण दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07/11/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

गोपाल पुत्र रिद्वकरण

बनाम

तहसीलदार फागी

::– वाद घोषणा, दुरूस्ती इन्दाज व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 52/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुताबिक पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 90/1, 90/2, 174/415, 202, 32, 33, 66, 93, 104/1, 114, 136, 140, 195, 201, 225, 220, 239, 269, 270, 354, 360, 260 एवं 368 ग्राम गोकुलपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज श्योजी पुत्र रिद्वा को हजफ कर इसके स्थान पर गोपाल पुत्र रिद्वकरण दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

निज.................मुबलिग...बाबत...
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद फरारा...फीसदी..........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..................पर अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07/11/2017 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत................
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा..........
फागी (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			खर्चा इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
फागी